"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 सितम्बर 2010—आश्विन 8, शक 1932

जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 449/ज.वि./2010 रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार

प्रस्तावना.—

छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग ने प्रख्यात पत्रकार स्व. चन्दूलाल चन्द्राकर की स्मृति को चिरस्थायी रखने के प्रयोजन से पत्रकारिता के माध्यम से राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन के लिए पत्रकारों को प्रोत्साहित करने और उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए **'चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार'** प्रदान करने का निर्णय लिया है. यह पुरस्कार प्रति वर्ष दो पत्रकारों एक प्रिंट मीडिया व एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दिया जाएगा.

इस पुरस्कार के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम :—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार नियम–2010' है.

(2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा** :— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

अ 'व्यक्ति' से तात्पर्य पुरस्कार प्रदाय हेतु विचाराधीन पत्रकार से है.

ब 'निर्णायक मंडल' से अभिप्राय इन नियमों के नियम–4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **पुरस्कार का स्वरूपः**–वर्ष के दो चयनित पत्रकारों को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए "चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार" राशि रुपये 50 हजार–50 हजार (रुपए पचास–पचास हजार) नगद, दिए जायेंगे. पुरस्कार हिंदी/छत्तीसगढ़ी में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर की उत्कृष्ट रिपोर्टिंग अथवा आलेख एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारित राष्ट्रीय/राज्य स्तर के हिंदी/छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित हों के लिए दिये जाएंगे.

4. **निर्णायक मंडल का गठनः**– राज्य शासन पत्रकारिता के क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्य के जानकार व्यक्तियों का एक निर्णायक मंडल (जूरी) जो सामान्यतः चार सदस्यीय होगा का गठन करेगा. आयुक्त/संचालक जनसंपर्क निर्णायक मंडल के सदस्य सचिव होंगे.

5 **निर्णायक मंडल की शक्तियां :–**

5.1 निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा.

5.2 पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जाएगी.

5.3 संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्व–विवेक से ऐसे व्यक्ति के नाम पर भी विचार कर सकेगा, जिन्हें वह पुरस्कार के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

5.4 प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए दो पत्रकारों का चयन होगा.

5.5 निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाई गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार–विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जाएगा.

5.6 निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें **राज्य शासन के प्रथम श्रेणी के अधिकारी के समकक्ष** श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया** :– पुरस्कार के लिए उपयुक्त व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

6.1 जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिए **प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु प्रमुख सचिव/सचिव अथवा आयुक्त जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा.** निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियाँ विचार के लिए मान्य नहीं की जाएगी. विज्ञापन जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा.

6.2 **पुरस्कार के लिए व्यक्ति स्वयं प्रविष्टि दे सकेगा अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति के लिए किसी भी पंजीकृत समाचार पत्र–पत्रिका या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संपादकीय प्रमुख अथवा छत्तीसगढ़/भारत का कोई भी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार प्रस्तावक हो सकेगा.**

6.3 प्रविष्टि आयुक्त/संचालक जनसंपर्क विभाग को प्रस्तुत की जायेंगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :–

क व्यक्ति का पूर्ण परिचय

ख छत्तीसगढ़ से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में की गई उत्कृष्ट रिर्पोटिंग की फोटोप्रति (सत्यापित)/प्रसारित कार्यक्रमों की प्रमाणित सी.डी. छत्तीसगढ़ पर की गई रिर्पोटिंग की समाचार पत्रों/पत्रिकाओं/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन/प्रसारण की जानकारी.

ग **आवेदन पत्र/ प्रस्ताव के साथ प्रविष्टि के चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में पुरस्कृत होने वाले व्यक्ति का लिखित सहमति पत्र.**

6.4 अ चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होगी.

ब एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं है.

6.5 प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्‌वर्ती पत्र–व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

6.6 प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा।

6.7 निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संबंधित पुरस्कार वर्ष पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जाएगा.

क्रमांक	पुरस्कार हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम पद एवं पता	प्राप्त पृष्ठों/सीडी की कुल संख्या	अन्य विवरण
1.	2.	3.	4.	5.

7. प्रविष्टियों के पंजीयन के पश्चात् आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क विभाग के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित जानकारियों का समावेश होगा –

1. व्यक्ति का नाम एवं पता
2. प्रस्तावक
3. पुरस्कार विषयक संक्षिप्त ब्यौरा
4. रिपोर्टिंग की प्रकाशित प्रति/प्रसारित कार्यक्रम की सी.डी
5. पुरस्कार ग्रहण करने बाबत् सहमति है/नहीं है.

8. **चयन का मानदंड :–**

पुरस्कार के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :–

8.1 निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्ति का चयन किया जायेगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ से संबंधित लोकहित से जुड़े गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों पर पुरस्कार वर्ष के सितंबर माह के पूर्व वर्ष के 31 अगस्त से एक वर्ष के बीच रिर्पोटिंग की हो.

8.2 व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि पुरस्कार के लिये बताये गये तथ्य वास्तविक हैं.

8.3 निर्णायक मंडल के अशासकीय सदस्य के परिवारजन उस वर्ष के पुरस्कार के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष के पुरस्कार के निर्णायक मंडल में व्यक्ति से संबंधित सदस्य हैं.

8.4 पुरस्कार के लिए आवेदन का क्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा.

8.5 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आयुक्त/संचालक जनसंपर्क छत्तीसगढ़ शासन, छोटापारा, रायपुर पिन कोड–492001 को भेजना होगा. आवेदन पत्र का प्रारूप संचालनालय द्वारा सभी इच्छुक आवेदकों को दिया जायेगा.

8.6 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र आयुक्त/संचालक जनसंपर्क छत्तीसगढ़ शासन छोटापारा रायपुर पिन कोड–492001 को भेजना होगा.

9. **पुरस्कार की घोषणा:–** निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्ति की औपचारिक घोषणा की जायेगी.

10. **पुरस्कार समारोह:– राज्य शासन/जनसंपर्क विभाग द्वारा पुरस्कार वितरण यथासंभव समारोहपूर्वक किया जाएगा**, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जायेगा. विशेष परिस्थितियों में, पुरस्कृत व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को शासन के प्रथम श्रेणी के अधिकारी के समकक्ष यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

11. **व्यय की संपूर्ति:–** पुरस्कार समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी.

12. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन:–** राज्य शासन, जनसंपर्क विभाग, को पुरस्कार नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में जनसंपर्क विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जाएगी. ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग में वेष्ठित होंगे.

13. **अन्य दायित्वों का निर्वहन:–** प्राप्त प्रविष्टियाँ एवं चयनित व्यक्ति का रिकार्ड जनसंपर्क संचालनालय द्वारा संधारित किया जावेगा.

क्रमांक 450/ज.वि./2010 रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार

प्रस्तावना.—

छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग ने प्रख्यात पत्रकार स्व. मधुकर खेर की स्मृति को चिरस्थायी रखने के प्रयोजन से पत्रकारिता के माध्यम से राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन के लिए पत्रकारों को प्रोत्साहित करने और उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए **'मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार'** प्रदान करने का निर्णय लिया है. यह पुरस्कार प्रति वर्ष दो पत्रकारों एक प्रिंट मीडिया व एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दिया जाएगा.

इस पुरस्कार के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम :–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार नियम–2010' है.

(2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा** :– इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

अ "व्यक्ति" से तात्पर्य पुरस्कार प्रदाय हेतु विचाराधीन पत्रकार से है.

ब "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम–4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **पुरस्कार का स्वरूपः—** वर्ष के दो चयनित पत्रकारों को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए "मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार" राशि रुपये 50 हजार–50 हजार (रुपए पचास–पचास हजार) नगद, दिए जायेंगे. पुरस्कार अंग्रेजी में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर की उत्कृष्ट रिपोर्टिंग अथवा आलेख एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारित राष्ट्रीय/राज्य स्तर के अंग्रेजी कार्यक्रम, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित हों, के लिए दिये जाएंगे.

4. **निर्णायक मंडल का गठनः—** राज्य शासन पत्रकारिता के क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्य के जानकार व्यक्तियों का एक निर्णायक मंडल (जूरी) जो सामान्यतः चार सदस्यीय होगा का गठन करेगा. आयुक्त/संचालक जनसंपर्क निर्णायक मंडल के सदस्य सचिव होंगे.

5 **निर्णायक मंडल की शक्तियां :—**

5.1 निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा.

5.2 पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जाएगी.

5.3 संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्व–विवेक से ऐसे व्यक्ति के नाम पर भी विचार कर सकेगा, जिन्हें वह पुरस्कार के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

5.4 प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए दो पत्रकारों का चयन होगा.

5.5 निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्रवाई गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार–विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जाएगा.

5.6 निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें **राज्य शासन के प्रथम श्रेणी के अधिकारी के समकक्ष** श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया** :— पुरस्कार के लिए उपयुक्त व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

6.1 जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिए **प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु प्रमुख सचिव/सचिव अथवा आयुक्त जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा.** निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियॉं विचार के लिए मान्य नहीं की जाएगी. विज्ञापन जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा.

6.2 **पुरस्कार के लिए व्यक्ति स्वयं प्रविष्टि दे सकेगा अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति के लिए किसी भी पंजीकृत समाचार पत्र–पत्रिका या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संपादकीय प्रमुख अथवा छत्तीसगढ़/भारत का कोई भी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार प्रस्तावक हो सकेगा.**

6.3 प्रविष्टि आयुक्त/संचालक जनसंपर्क विभाग को प्रस्तुत की जायेंगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—

क व्यक्ति का पूर्ण परिचय

ख छत्तीसगढ़ से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में की गई उत्कृष्ट रिर्पोटिंग की फोटोप्रति (सत्यापित)/प्रसारित कार्यक्रमों की प्रमाणित सी.डी. छत्तीसगढ़ पर की गई रिर्पोटिंग की समाचार पत्रों/पत्रिकाओं/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन/प्रसारण की जानकारी.

ग **आवेदन पत्र/प्रस्ताव के साथ प्रविष्टि के चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में पुरस्कृत होने वाले व्यक्ति का लिखित सहमति पत्र.**

6.4 अ चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होगी.

ब एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं है.

6.5 प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र-व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

6.6 प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

6.7 निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संबंधित पुरस्कार वर्ष पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जाएगा.

क्रमांक	पुरस्कार हेतु व्यक्ति का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम पद एवं पता	प्राप्त पृष्ठों/सीडी की कुल संख्या	अन्य विवरण
1.	2.	3.	4.	5.

7. प्रविष्टियों के पंजीयन के पश्चात् आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क विभाग के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जाएगी., जिसमें निम्नलिखित जानकारियों का समावेश होगा –

1. व्यक्ति का नाम एवं पता
2. प्रस्तावक
3. पुरस्कार विषयक संक्षिप्त ब्यौरा
4. रिपोर्टिंग की प्रकाशित प्रति/प्रसारित कार्यक्रम की सी.डी
5. पुरस्कार ग्रहण करने बाबत् सहमति है/नहीं है.

8. **चयन का मानदंड :–**

पुरस्कार के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :–

8.1 निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्ति का चयन किया जायेगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ से संबंधित लोकहित से जुड़े गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों पर पुरस्कार वर्ष के सितंबर माह के पूर्व वर्ष के 31 अगस्त से एक वर्ष के बीच रिर्पोटिंग की हो.

8.2 व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि पुरस्कार के लिये बताये गये तथ्य वास्तविक हैं.

8.3 निर्णायक मंडल के अशासकीय सदस्य के परिवारजन उस वर्ष के मुरस्कार के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष के पुरस्कार के निर्णायक मंडल में व्यक्ति से संबंधित सदस्य हैं.

8.4 पुरस्कार के लिए आवेदन का क्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा.

8.5 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आयुक्त/संचालक जनसंपर्क छत्तीसगढ़ शासन, छोटापारा, रायपुर पिन कोड–492001 को भेजना होगा. आवेदन पत्र का प्रारूप संचालनालय द्वारा सभी इच्छुक आवेदकों को दिया जायेगा.

8.6 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र आयुक्त/संचालक जनसंपर्क छत्तीसगढ़ शासन छोटापारा रायपुर पिन कोड–492001 को भेजना होगा.

8.8 पुरस्कार के लिए संबंधित पत्रकार को न्यूनतम पांच वर्ष का पूर्णकालिक प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया में पत्रकारिता का अनुभव होना अनिवार्य है.

9. **पुरस्कार की घोषणाः–** निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्ति की औपचारिक घोषणा की जायेगी.

10. **पुरस्कार समारोहः– राज्य शासन/जनसंपर्क विभाग द्वारा पुरस्कार वितरण यथासंभव समारोहपूर्वक किया जाएगा,** जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जायेगा. विशेष परिस्थितियों में, पुरस्कृत व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को शासन के प्रथम श्रेणी के अधिकारी के समकक्ष यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

11. **व्यय की संपूर्तिः–** पुरस्कार समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी.

12. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तनः–** राज्य शासन, जनसंपर्क विभाग, को पुरस्कार नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में जनसंपर्क विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जाएगी. ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग में वेष्ठित होंगे.

13. **अन्य दायित्वों का निर्वहनः–** प्राप्त प्रविष्टियॉं एवं चयनित व्यक्ति का रिकार्ड जनसंपर्क संचालनालय द्वारा संधारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.